



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 03/2020/परीक्षा/दिनांक 07/02/2020

प्रकाशन की तिथि: 12/02/2020

:: विज्ञापन ::

सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-भौतिक विद्/सहायक रसायन विद् (जल संसाधन विभाग) के पद पर सीधी भर्ती  
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/03/2020 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 16/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक

## महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/03/2020 को मध्याह्न 12:00 बजे से 16/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 19/04/2020 अपराह्न 12:00 बजे से 25/04/2020 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों में से 600 के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक भू-जल विद्/ सहायक भू-विद्	2	-	2	1	-	-	-	-	-	5	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतन बैंड ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400)
2	सहायक भू-भौतिक विद्	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	सहायक भू-रसायन विद्	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
कुल पद :-										7		

### महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (OA, OL, HH) ही मान्य होंगे।
- रिक्तियों में आरक्षण :-  
(i) उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।  
(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी

(छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

- परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लिखित है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता :-

(A) पदनाम: सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-विद्

(i) श्रेणी: राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी

(ii) वेतनमान रूपये: ₹56100 (स्तर-12)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iii) शैक्षणिक अर्हता:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-गर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर

क्रमशः

- उपाधि।
- (B) पदनाम: सहायक भू-भौतिक विद्  
(i) श्रेणी: राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी  
(ii) वेतनमान रूपये: ₹ 56100 (स्तर-12)  
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।  
(iii) शैक्षणिक अर्हता:-  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-भौतिकी शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (C) पदनाम: सहायक भू-रसायन विद्  
(i) श्रेणी: राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी  
(ii) वेतनमान रूपये: ₹ 56100 (स्तर-12)  
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।  
(iii) शैक्षणिक अर्हता:-  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- महत्वपूर्ण नोट:-**
- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।  
(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।  
(4) निर्धारित आयु सीमा:-  
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।  
उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-  
(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।  
(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।  
(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।  
(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।  
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।  
(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।  
(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।  
(ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।  
(x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंडेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।  
(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।  
(xii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- महत्वपूर्ण टीप:-**
- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  
(ii) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2020 के संदर्भ में की जाएगी।  
(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित

आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi), एवं 4(vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट

के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4(xii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) आपराधिक अभियोजन :-
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो, या
- (ii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iii) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (iv) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (v) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र

परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी—
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा—
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शारित तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

- (9) अनर्हता: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष टहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (10) चयन प्रक्रिया :- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो

जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

- (i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-‘एक’ तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-‘दो’ में प्रकाशित है।
- (iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।
- (11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(12) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (ii) अभ्यर्थी आयोग को परीक्षा के प्रश्न-पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न-पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(13) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

- (ii) साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 13(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(14) विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर

**परिशिष्ट-एक,  
“परीक्षा योजना”**

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- |             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| परीक्षा     | —        | 300 अंक        |
| साक्षात्कार | —        | 30 अंक         |
| <b>कुल</b>  | <b>—</b> | <b>330 अंक</b> |
- (2) परीक्षा:-
- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-
- |                    |  |                   |                  |
|--------------------|--|-------------------|------------------|
| प्रश्नों की संख्या | 150  | 3:00 घंटे         | अंक 300          |
| भाग 1              | — छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान — 50 प्रश्न (100 अंक)   |                   |                  |
| भाग 2              | — (सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-विद्)/<br>सहायक भू-भौतिकविद्/(सहायक भू-रसायनविद्)<br>— 100 प्रश्न (200 अंक) |                   |                  |
| <b>कुल</b>         | <b>—</b>   | <b>150 प्रश्न</b> | <b>(300 अंक)</b> |
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समुहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स और द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: —
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (5) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।
- (6) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा।
- (7) परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।
- (8) साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (10) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□

**परिशिष्ट-दो**  
**“पाठ्यक्रम”**

**भाग-1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान**

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएँ।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएँ।

**Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh**

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

**PART-2**

**(A) ASSISTANT GEO-HYDROLOGIST**

**1. HYDROGEOLOGY**

- (i) Ground water: Origin, types, importance, occurrence and movement. Renewable and non renewable Ground water resources and assessment of Ground water.
- (ii) Hydrological cycle. Ground water reservoirs and their classification, Classification of aquifers.
- (iii) Hydrological Properties of rocks : Porosity, permeability, specific yield, specific retention, Transmissivity, storage coefficient, Hydraulic conductivity, Darcy's law and its validity, Reynold Number.
- (iv) Well Hydraulics : Confined, unconfined, steady, unsteady and radial flow.
- (v) Hydrographs, Piezometer, water table contour maps , Hydrostratigraphic units, Hydrogeology of Chhattisgarh. Water level fluctuations causative factors and their measurement.
- (vi) Water well technology: Well types, drilling methods, construction, design, development, Yield Test and Selection of Pump sets. Methods of pumping test and analysis of test data, evaluation of aquifer parameters.
- (vii) Geochemical Survey and Ground water quality, various parameters for drinking, irrigation purpose and industrial use. Water contaminants and pollutants problem of Arsenic, Iron, Sulphate, Nitrate and Fluoride. Ground water quality of Chhattisgarh.
- (viii) Surface and Subsurface Geophysical and Geological methods of Ground water exploration. Hydrogeological mapping using various remote sensing techniques. Geographic Information System (GIS) - principles and applications.
- (ix) Artificial recharge of Ground water, Technique of Rain Water Harvesting Concept of Water shed management & Basin Management, conjunctive use, Problem of overexploitation, Ground water legislation.
- (2) **GEOMORPHOLOGY & STRATIGRAPHY:-**
  - (i) Dynamics of geomorphology and geomorphic processes.
  - (ii) Geomorphic regions of India and Chhattisgarh.
  - (iii) Concept of stratigraphy and its significance. Stratigraphic scales, dual classification. stratigraphy Chhattisgarh.
  - (iv) Plate tectonics. Dynamic evolution of continental and oceanic crust.

- (v) Evolution of sedimentary basins, Tectonics and sedimentation.
- (3) **GEOPHYSICAL EXPLORATION:-**
  - (i) Basic principles of resistivity methods. Various types of electrode configuration. Field procedure of profiling and sounding. Application of electrical methods in Ground water prospecting and civil engineering problems.
  - (ii) Fundamental principles of wave propagation in seismic method. Refraction and reflection survey for single interface, Horizontal and dipping cases, seismic velocity and interpretation of seismic data. Brief outline of various well-logging techniques, Principles of electrical logging and its application in petroleum, ground water exploration, Basic principles and instrumentation of radioactive method of exploration.
  - (4) **ENVIRONMENT GEOLOGY :-**
    - (i) Impact of man on environment.
    - (ii) Problems pertaining to urbanization.
    - (iii) Problems pertaining to wasteland and wet lands.
    - (iv) Landslides-Their causes (natural and man made.) Prevention and planning
    - (v) Floods - physical characteristics.
    - (vi) Origin and causes of flooding, Prevention of soil cover loss.
    - (vii) Human influence on climate and weather changes. Global warming and Ozone layer depletion.
    - (viii) Air pollution- acid precipitation, weather and climatic effects.
    - (ix) Water pollution - Impact of waste disposal (Soil/liquid) on water quality degradation.
    - (x) Environment management - Definition of Problem and Objectives.
    - (xi) Role of the geologist in urban area planning
    - (xii) Natural resource management and natural hazards.

**(क) सहायक भू-जल विद**

**भूजल विज्ञान:-**

1. भूजल: उत्पत्ति, प्रकार, महत्व, उपस्थिति और संचलन (चाल) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय भूजल संसाधन और भूजल का आकलन।
2. जल चक्र। भूजल जलाशयों और उनके वर्गीकरण, जलभृत का वर्गीकरण।
3. चट्टानों के जलीय गुण: सरम्भता, पारगम्यता, स्पेशिफिक यील्ड, स्पेशिफिक रिटेन्शन, ट्रांसमिसिविटी, भंडारण गुणांक, जलीय चालकता, डार्सी का नियम और उसकी वैधता, रेनॉल्ड नंबर।
4. कूप जल विज्ञान: सीमित, अपुष्ट, स्थिर, अस्थिर और रेडियल प्रवाह।
5. हाइड्रोग्राफ, पीजोमीटर, वॉटर टेबल कंटूर नक्शा हाइड्रोस्ट्रेटिग्राफिक इकाइयों, छत्तीसगढ़ का भूजल विज्ञान। भूजल स्तर में उच्चावचन कारक और उनके माप।
6. जलकूप तकनीकी: कूप के प्रकार, वेधन विधि, निर्माण, डिजाइन, विकास, यील्ड टेस्ट और पंप सेट का चयन। पंपिंग टेस्ट के तरीके और परीक्षण डेटा का विश्लेषण, जलभृत मापदंडों का मुल्यांकन।
7. जियोकेमिकल सर्वेक्षण और भूजल की गुणवत्ता, पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग में आने वाले जल का विभिन्न मापदंड। जल प्रदूषण, आर्सेनिक, आयरन, सल्फेट, नाइट्रेट और फ्लोराइड आदि की प्रदूषण की समस्या। छत्तीसगढ़ के भू जल की गुणवत्ता।
8. सतही और भूसतह के नीचे भूजल अन्वेषण के भूभौतिकीय और भूवैज्ञानिक विधि, हाइड्रोजियोलॉजिकल मैपिंग – विभिन्न रिमोट सेंसिंग तकनीकों के उपयोग द्वारा। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) सिद्धांत और अनुप्रयोग।
9. भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, वाटर शेड वर्षा प्रबंधन और बेसिन की वर्षा जल संचयन अवधारणा की तकनीक प्रबंधन, समन्वित उपयोग, अतिदोहन की समस्या, भूजल विधान।

2. भू-आकृति विज्ञान और स्तर विज्ञान :-

- 1) भू आकृति विज्ञान और भू-आकृति प्रक्रियाओं के आयाम।
  - 2) भारत और छत्तीसगढ़ के भू आकृति क्षेत्र।
  - 3) स्तर विज्ञान और उसके महत्व की अवधारणा स्ट्रैटिग्राफिक स्केल, दोहरी वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ का स्तर विज्ञान।
  - 4) प्लेट टेक्टोनिक्स। महाद्विपीय और महासागरीय वक्र का गतिशील विकास।
  - 5) अवसादीय घाटियों का विकास। टेक्टोनिक्स और अवसादन।
3. भू-भौतिकीय सर्वेक्षण:-
- 1) रजिस्ट्रिटी विधियों के मूल सिद्धांत। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड विन्यास। प्रोफाइलिंग और साउंडिंग की फील्ड प्रक्रिया। भूजल पूर्वक्षण और सिविल इंजीनियरिंग में विद्युत विधियों का अनुप्रयोग।
  - 2) भूकंपीय विधि में तरंग प्रसार के मौलिक सिद्धांत। एकल इंटरफेस, क्षैतिज और ढालयुक्त प्रकरण के लिए अपवर्तन और प्रतिबिंब सर्वेक्षण। भूकंपीय वेग और भूकंपीय आंकड़ों की व्याख्या।
  - 3) वेल लॉगिंग के विभिन्न तकनीक, इलेक्ट्रिकल लॉगिंग के सिद्धांत और पेट्रोलियम, भूजल अन्वेषण में अनुप्रयोग, अन्वेषण के लिए रेडियोधर्मी विधि के मूल सिद्धांत एवं स्ट्रूमेंटेशन की संक्षिप्त रूप रेखा।
4. पर्यावरण भूविज्ञान:-
- 1) पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव।
  - 2) शहरीकरण से संबंधित समस्याएं।
  - 3) बंजर भूमि और आर्द्र भूमि से संबंधित समस्याएं।
  - 4) भूस्खलन - उनके कारण (प्राकृतिक और मानव निर्मित) रोकथाम और योजना।
  - 5) बाढ़ - भौतिक लक्षण।
  - 6) बाढ़ की उदगम और कारण, मिट्टी के नुकसान की रोकथाम।
  - 7) जलवायु और मौसम परिवर्तन पर मनुष्य का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की कमी।
  - 8) वायु प्रदूषण - अम्लीय वर्षा मौसम और जलवायु प्रभाव।
  - 9) जल प्रदूषण - जल गुणवत्ता गिरावट पर अपशिष्ट निपटान (मृदा/तरल) का प्रभाव।
  - 10) पर्यावरण प्रबंधन - समस्या और उद्देश्यों की परिभाषा।
  - 11) शहरी क्षेत्र नियोजन में भूवैज्ञानिक की भूमिका।
  - 12) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और प्राकृतिक विपदा।

(B) ASSISTANT GEO-PHYSICS

1. Ground Water Geophysics
  - A. 1. Concept of stratigraphy and its significance. Types of rock, stratigraphy of Chhattishgarh.
  - B. 1. Ground water: Origin, types, importance, occurrence and movement. Renewable and non renewable Ground water resources and assessment of Ground water.
  2. Hydrological cycle. Ground water reservoirs and their classification, Classification of aquifers.
  3. Hydrological Properties of rocks: Porosity, permeability, specific yield, specific retention, Transmissivity, storage coefficient, Hydraulic conductivity.
  - C. 1. Basic principles of resistivity methods. Various types of electrode configuration. Field procedure of profiling and sounding. Application of electrical methods in Ground water.
  2. Brief outline of various well-logging techniques, Principles of electrical logging and its application in ground water exploration.
  3. Remote sensing & Geographical information system.
2. Mechanics :-
 

Conservation Laws, Inertial and non inertial frame of reference, Special theory of Relativity, Lorentz transformation,  $E=MC^2$ , Motion of rigid bodies, Angular momentum, Bernoulli's equation and Stoke's law,

Elasticity, Bending of beams and cantilever, Couple due to twisting, Poisson's ratio.

3. Mathematical Physics:-

Vectors, concept of Gradient, Divergence and Curl, Gauss and Stoke's theorem, Matrices Multiplication, different type of Matrices, System of equations, Eigen values and Eigen functions.

4. Thermal and Statistical Physics:-

Different laws of thermodynamics, Concepts of point function and Path Functions, Carnot's theorem, Absolute scale of temperature, Entropy, Thermodynamic potentials, Maxwell's relation and their applications, Maxwell-Boltzmann distribution, Concepts of Gibb's Ensemble, Canonical ensemble, Statistical interpretation of entropy, Bose-Einstein and Fermi-Dirac Statistics.

5. Waves and Oscillations :-

One dimensional wave equation and its solution, Elastic Waves in solids and pressure waves in gases, phase velocity and Group velocity, free, forced and maintained vibrations. Resonance, Quality factor, Interference, Newton's ring, Biprism, Michelson interferometer, Diffraction, Fresnel and Fraunhofer class of diffraction. Diffraction due to single, double and n slits. Zone plate, Dispersive Power and Resolving Power, Rayleigh's criterion for resolution, Polarization, Half wave plate and quarter wave plate, production and analysis of plane circularly and elliptically polarized light, spontaneous and stimulated emission, Principle of LASER.

6. Electromagnetic Induction and Electronics :-

Self and mutual inductance, LCR circuits, series and parallel circuits, Acceptor and Rejecter circuits, Maxwell's equation and Electromagnetic waves, Poynting vector, Intrinsic and extrinsic semiconductors, P-N junction, Zener diode, Use of diodes and transistors for rectification and amplifications, modulation and detection of radio frequency Waves, Logic gates.

7. Optical and X-ray spectra:-

Vector model of the atom, fine structure of spectral lines, J-J and L-S couplings, Normal and anomalous Zeeman effect, Raman effect, Radio activity, nuclear binding energy, fission and fusion, Elementary particles and their classification, Cyclotron, Elementary idea of super conductivity.

8. Lagrange's Equation, Hamilton's Principles, Fermat's principle of least action, Spherical harmonics and functions, Legendre, Bessel and Hermite Polynomials, Cauchy's Reimann condition, Cauchy's integral theorem and formula.

9. Quantum Mechanics:-

Representation of dynamic variables by operators, Operators Algebra, Schrodinger wave equation and its application, Free particle in a box, Potential barrier, Simple harmonic oscillator and Hydrogen atom, Concept of orbital angular momentum. Eigen values and Eigen function  $L_x$ ,  $L_y$ , and  $L_z$ , Commutative rules.

10. Basic Properties of nucleus:-

Liquid drop model, nuclear shell model, reaction cross section, nuclear reaction, Bohr's nucleus theory. Nuclear fission and its explanation by liquid drop model, Plasma, fusion reaction in Plasma, fusion reactor, stellar energy.

11. Band theory of solids, conductors, free electron model of metal, density of states, fermi energy, Kronig-Penny Model for energy bands. Hall effect. Langevin's theory of paramagnetism and Curie Weiss Law.

(ख) सहायक भू-भौतिकी विद्

1. ग्राउंड वाटर जियोफिजिक्स

क. I. स्तरित शैल विज्ञान की अवधारणा एवं महत्व, शैल के प्रकार, छत्तीसगढ़ का स्तरित शैल विज्ञान।

ख. I. भू-जल - उत्पत्ति, प्रकार, महत्व, उपलब्धता और गति। गतिज और स्थिर भूमिगत जल संसाधन और भूजल का मूल्यांकन।

- II. हाईड्रोलॉजिकल चक्र, भूजल जलाशयों एवं उनका वर्गीकरण, एक्वीफर का वर्गीकरण।
- III. चट्टानों के भूजल गुण : सरंधता, पारगम्यता, विशिष्ट उपज, विशिष्ट प्रतिधारण, भंडारण, Transmissivity, भंडारण गुणांक, हाईड्रोलॉजिक चालकता।
- ग. I. Resistivity Method का मूल सिद्धांत। इलेक्ट्रोड विन्यास के विभिन्न प्रकार, profiling और sounding की फील्ड प्रक्रिया, भूजल में विद्युतीय विधि का उपयोग।
- II. विभिन्न well-logging तकनीक की संक्षिप्त रूपरेखा, electrical-logging का सिद्धांत एवं भूजल अन्वेषण में उसका उपयोग।
- III. सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र।
2. यांत्रिकी – संरक्षण नियम, जड़त्वीय एवं अजडत्वीय निर्देशतन्त्र, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धान्त, लारेंज रूपान्तरण,  $E=MC^2$ , दृढ़ पिण्डों की गति, कोणीय संवेग, बरनौली समीकरण एवं स्टोक का नियम, प्रत्यास्थता, दण्डों एवं स्तम्भों का बंकन, ऐंठन के कारण बल युग्म, पॉइसन निष्पत्ति।
3. गणितीय भौतिक – सदिश, प्रवणता (Gradient), अपसरण एवं कर्ल की अभिधारणा, गॉस और स्टोक के प्रमेय, आव्यूह गुणन, विभिन्न प्रकार के आव्यूह, रेखीय समीकरण निकाय, आइगन मान और आइगन फलन।
4. उष्मीय तथा सांख्यिकीय भौतिकी – उष्मा गतिकी के विभिन्न नियम, बिन्दु फलन और मार्ग फलन की अभिधारणा, कार्नों का प्रमेय, ताप का परम मापक्रम, एन्ट्रॉपी, उष्मागतिक विभव, मैक्सवेल संबंध और उसके अनुप्रयोग, मैक्सवेल बौल्डसमेन वितरण, गिब्स संयोजन की अभिधारणा, चिरसम्मत (कैनोनिकल) समुदाय, एन्ट्रॉपी की सांख्यिकीय व्याख्या, बोस आइन्स्टीन एवं फर्मी-डिराक सांख्यिकीय।
5. तरंग एवं दोलन – एक विभीय तरंग का समीकरण तथा उसका हल, ठोस में प्रत्यास्थ तरंग एवं गैस में दाब तरंग, कला वेग और समूह वेग, मुक्त, प्रेरणित और स्थापित कम्पन, अनुनाद, विशेषता गुणांक। व्यतिकरण, न्यूटन वलय, बाईप्रिज्म, माइकल्सन व्यतिकरण मापी, विवर्तन, फ्रेनल और फ्राऊनहॉफर विवर्तन, एकल, द्वि एवं n झिरियों द्वारा विवर्तन, जोन प्लेट, वर्ण विक्षेपण क्षमता और विभेदन क्षमता, विभेदन की रेले की कसौटी, ध्रुवण, अर्धतरंग पट्टिका एवं चतुर्थांश तरंग पट्टिका, समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित एवं दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन एवं विश्लेषण, स्वतः एवं उद्दीपित उत्सर्जन, लेसर का सिद्धांत।
6. विद्युतचुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण एवं इलेक्ट्रानिक्स – स्व एवं अन्वोन्य प्रेरण, LCR परिपथ, श्रेणी एवं समान्तर परिपथ, स्वीकारक और अस्वीकारक परिपथ, मैक्सवेल समीकरण और विद्युतचुम्बकीय तरंगों, पॉइंटिंग सदिश। अन्तर्वर्ती और बहिर्वर्ती अर्धचालक, P-N सन्धि, जेनर डायोड, दृष्टीकरण एवं प्रवर्धन में डायोड एवं ट्रांजिस्टर का उपयोग, रेडियो आवृत्ति तरंगों का मॉडुलेशन एवं संसूचन, लॉजिक द्वार।
7. प्रकाशीय एवं X किरण वर्तक्रम – परमाणु का वेक्टर मॉडल, वर्णक्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, J-J युग्मन और L-S युग्मन, सामान्य और असामान्य जीमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, विखंडन और संलयन, मूल भूत कण और उनका वर्गीकरण, साईक्लोट्रॉन, अतिचालकता की प्रारंभिक अभिधारणा।
8. लेग्रान्जी समीकरण, हेमिल्टन का सिद्धांत, फर्मेट का न्यूनतम किया नियम, गोलीय संनादी एवं फलन, लेजेन्ड्रे बैसल और हरमाईट पोलिनामियल, कांची-रिमन अवस्था, कांची समाकलन प्रमेय और सूत्र।
9. क्वान्टम यांत्रिकी – गतिक चरों का संकारक द्वारा निरूपण, आपरेटर का बीज गणित, श्रोडिंजर तरंग समीकरण एवं उसके अनुप्रयोग, बॉक्स में मुक्त कण, विभव प्राचीर, सरल आवर्ती दोलित्र एवं हाइड्रोजन परमाणु, कक्षीय कोणीय संवेग की अभिधारणा, आइगन मान और आइगन फलन  $L_x, L_y$ , एवं  $L_z$ , क्रम – विनिमेय नियम।
10. नाभिक के मूल गुण धर्म – द्रव – बूँद मॉडल, नाभिकीय कोष मॉडल, अभिक्रिया परिच्छेद, नाभिकीय अभिक्रियाएँ, बोर का नाभिकीय

सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन एवं इसकी द्रव बूँद मॉडल द्वारा व्याख्या। प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था में संलयन अभिक्रिया, संलयन रियेक्टर, तारकीय ऊर्जा।

11. ठोस का बैंड सिद्धांत, चालक, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व, फर्मी ऊर्जा ऊर्जा बैंड का क्रोनिंग-पैनी माडल, हॉल प्रभाव, अनुचुम्बकत्व का लैन्जेविन सिद्धांत एवं क्यूरी वॉइस नियम।

### (C) ASSISTANT GEO-CHEMIST

1. CHEMISTRY
- (1) Symmetry : Symmetry, Symmetry elements, Symmetry operations (general treatments only).
- (2) Electromagnetic radiations: Electromagnetic radiation, interaction of electromagnetic radiations with-matter, consequence of interaction and classification of electromagnetic radiation in different regions, Singlet and triplet states. UV and IR spectra and their simple applications.
- (3) Atomic structure and chemical Bonding : Sommerfelds model, Schrodinger equation (General treatment) Elementary idea of valency bond and Molecular orbital theory (bonding , non-bonding and antibonding orbitals) dipole moment and Molecular structure.
- (4) Electro Chemistry: Reversible and irreversible electrodes, Nernst equation, Standard hydrogen electrode and glass electrode, concentration cells with and without transference, conductivity of solution (specific, equipment and molecular conductance), ionic velocity and effect of dilution on conductance, conductometric titrations, Degree of ionisation and conductivity concept of transport number and its determination, Kohlrausch's law of ionic mobility and its applications. Elementary idea of theory of strong electrolytes.
- (5) Thermodynamics : Extensive and intensive properties, isolated system. Intrinsic energy, and enthalpy as properties of states, Reversible , irreversible and cyclic processes and drive towards equilibrium, Second law of the thermodynamics with reference to entropy, physical concept of entropy, simple applications of thermodynamics to chemical processes.
- (6) Nuclear Chemistry : Theory of atomic nucleus and nuclear stability in terms of N/P ratio, binding energy, packing fraction, mass defect, whole number rule, Effective nuclear charge, atomic disintegration, nuclear section, nuclear cross-section, basic principles of nuclear fission and fusion.
- (7) Chemistry of elements and their compounds: A comparative study of XIV, XV, XVI, XVII and zero group elements with respect to electronic configuration, oxidation states , hydrides, oxides , halides and hydroxides.
- (8) Transition and inner transition elements : Electronic configuration, position in the periodic table, characteristics, oxidation states, spectral and magnetic properties of transition elements. General study, electronic structure, oxidation states, spectral and magnetic properties of lanthanides, lanthanide contraction.
- (9) Co-ordination Chemistry : Werner's theory of co-ordination compounds, its electronic interpretation valency bond theory for explaining metalling and bonding, hybridisation in complexes.
- (10) Non-aqueous solvents : Classification and characteristics of solvents Chemistry of non-aqueous solvents with special reference to liquid ammonia and liquid sulphur dioxide.
- Inorganic Compounds :
- (i) A detailed study of oxides. Oxyacids (including electronic structure) of nitrogen, phosphorus, and sulphur. Peroxoacids of sulphur. Oxyacids of chlorine, thionic acids. Isolation of flourine. Inert gas compounds, interhalogen compounds and pseudo halogens.
- (ii) Preparation, properties, uses and the constitution of the following:- diborane, Hydrazine, Hydroxylamine, hyponitrous acid, sodium thiosulphate and hydrogen peroxide.



- (iii) A detailed study of active nitrogen, nitrides and fertilisers.  
 (iv) Preparation, properties and uses of the following- Hydrazoic acid, Tartaremetic, Microcosmic salt, thionylchloride sulphuryl chloride, potassium dichromate, Potassium permagnate, Chromalum, Bleaching powder, Potassium Ferro and ferricyanide, chlorosulphonic acid, sodium bismuthate, sodium cobaltinitrite and corborundum.

#### Physical Organic Chemistry

Electronic displacements Inductive, electromeric, mesomeric and hyper conjugative effects, Electronophiles, nucleophiles and free radicals. Resonance and its applications to organic compounds, Effect of structure on the dissociation constants of organic acids and bases. Hydrogen bond and its effects on the properties of organic compounds. Modern concepts of reaction mechanisms-addition, substitution, elimination and rearrangement. Reaction involving free radical mechanisms of aromatic substitution Benzene intermediates.

#### Aliphatic Chemistry

Chemistry of simple organic compounds belonging to the following classes alkanes, alkenes, alkynes, alkyl halides; alcohols, thiols, aldehydes, ketones, acids and their derivatives, ethers, amines, amino acids, hydroxy acids, unsaturated acids, Dibasic Acids. Synthetic uses of the following :- Acetoacetic and malonic esters, organometallic compounds of magnesium and lithium, and diazomethane. Carbohydrates - Classification, configuration and general reactions of simple monosaccharides. Chemistry of glucose, fructose and sucrose.

#### Stereochemistry

Elements of symmetry and simple symmetry operations. Optical and geometrical isomerism in simple organic molecules. E.Z. and R.S. notations Conformations of simple organic molecules, Stereochemistry of inorganic co-ordination compounds.

#### Aromatic Chemistry

Benzene, toluene and their halogen, hydroxy, nitro and amino derivatives, Sulphonic acid, Xylenes, Benzaldehyde. Salicylaldehyde, acetophenone, Benzoic, phthalic, salicylic, cinnamic and mandelic acids. Reduction products of nitrobenzene, Benzonium salts and their synthetic uses.

Structure, synthesis and important reactions of naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyridine and quinoline.

Dyes belonging to the azo triphenylmethane and phthalein groups, Modern theories of colour and constitution. General ideas regarding the Chemistry of nicotine.

Basic concepts regarding the following materials of economic and medicinal importance, Cellulose and starch, coal tar chemicals, oils and fats.

Chemistry of the following elements and their principal compounds Boron, titanium, germanium, Silicon, Nickel, Platinum, Chromium and Uranium.

Elementary idea of Hydrogen bonding VSEPR theory and importance of lone pair structure of ionic solids, energetics of formation of NaCl. Crystal lattice with-reference to ionisation potential, electron, affinity, and lattice energy. Born Haber cycle, Polarising power. Polorisability Fajan's rules.

Acid-Base concept, Lowry Bronsted concept, Lewis concept, Other theories of acid and bases, Hard and soft Acid base concept, pH and its determination, Buffer solution and Buffer action, Henderson equation.

Errors in quantitative analysis, classification of errors, minimisation of errors, precision and accuracy, significance of figures, Co-precipitation and post precipitation, optimum conditions for precipitations, choice of indicators in the acid base titrations, theories of indicators, Principle of EDTA titrations.

Analytical, Numerical questions on (a) Quantitative estimation of pyrolusite, iodometry, silver coin, acid-base. titrations, Redox-titrations (b) Aliphatic and Aromatic compounds.

#### GEOCHEMISTRY

- Special properties of transition and rare earth elements.
- Geochemical classification of elements.
- Principles of ionic substitution in minerals. Isomorphism, polymorphism and pseudomorphism
- Radiogenic isotopes, Stable isotopes : nature, abundance and fractionation, Radioactive decay schemes of U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, K-Ar and growth of daughter isotopes.
- Radiometric dating of single minerals and whole rocks.
- Geochemistry of oceanic crust. Composition of continental crust.
- Geochemistry of island arcs.
- Element partitioning in minerals. Element partitioning in rocks.
- Element partitioning in mineral assemblages and its use in P-T Estimation
- Chemistry of Natural waters.
- Rock weathering and soil formation.
- Elemental mobility in surface environment.
- Geochemical cycle. Geochemical studies of aerosols, surface-, marine, and ground waters.
- Bio geochemical cycle.
- Mineral stability in Eh-pH diagram.
- Origin and abundance of elements in solar system and in the earth and its constituents.

### (ग) सहायक भू-रसायन विद्

- रसायन विज्ञान -  
 1. सममिति - सममिति, सममिति तत्व, सममिति संक्रिया, सामान्य विवेचन।  
 2. विद्युत चुम्बकीय विकिरण - विद्युत चुम्बकीय विकिरण पदार्थ से विद्युत चुम्बकीय विकिरण की पारस्परिक क्रिया तथा इसके प्रभाव एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का विभिन्न क्षेत्रों में एकल एवं त्रिक अवस्था में पराबैंगनी एवं अपरक्त उनका सरल अनुप्रयोग।  
 3. परमाणु संरचना तथा रासायनिक आबंधन - सोमर फ़ैल्ड प्रतिरूप, श्रीडिन्गर समीकरण (सामान्य विवेचना) संयोजकता आबंध तथा आणविक आर्बिटल सिद्धांत की प्रारंभिक जानकारी (बंधन, अनाबंधन, तथा प्रति अनाबंधन आर्बिटल), द्विध्रुव आघूर्ण तथा आणविक संरचना।  
 4. विद्युत रसायन - उत्कम्प इलेक्ट्रोड तथा अनुक्रमणीय इलेक्ट्रोड, नेर्न्ट समीकरण, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा कांच का इलेक्ट्रोड विलियन के अभिगमन चालकता सहित तथा रहित सान्द्रता सेल (विशिष्ट, तुल्यांकी तथा आणविक चालकता) आयनिक वेग तथा चालकता पर तनुता का प्रभाव, चालकता मूलक अनुमापन, आयनन की मात्रा तथा अभिगमननांक की चालकता संकल्पना तथा उसका निर्धारण आयनिक गतिशीलता का कोलराश नियम तथा उसका अनुप्रयोग प्रबल विद्युत अपघट्य के सिद्धांत की प्रारंभिक धारणा।  
 5. उष्मा गतिविज्ञान - विस्तृत तथा गहन गुणधर्म, विलगित तंत्र, आंतरिक उर्जा तथा पूर्ण उर्जा अवस्थाओं के गुणधर्म के रूप उत्क्रमणीय और चक्रीय प्रक्रम तथा साम्यावस्था की ओर परिचालन एन्ट्रापी के संदर्भ में उष्मागतिकी का दूसरा नियम एन्ट्रापी की भौतिकी संकल्पना, रासायनिक प्रक्रमों के लिए उष्मागतिकी का सरल अनुप्रयोग।  
 6. नाभिकीय रसायन - एन. पी. अनुपात के संबंध में परमाणु नाभिक तथा नाभिकीय स्थिरता बंधन उर्जा संतुलन गुणांक, द्रव्यमान क्षति, पूर्ण संख्या नियम प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु नाभिकीय अभिक्रिया नाभिकीय अनुप्रथ काट नाभिकीय विखण्डन तथा संलयन के मूल नियम  
 7. तत्वों तथा उनके यौगिकों का रासायनिक अध्ययन- इलेक्ट्रानिक विन्यास से संबंधित शून्य समूह के तत्वों का आक्सीकरण, अवस्था हाइड्राइड, आक्साइड हेलाइड तथा हाइड्राआक्साइड का तुलनात्मक अध्ययन।

8. **संक्रमण तथा आंतर संक्रमण तत्त्व** – इलेक्ट्रानिक विन्यास, आवर्तसारणी में स्थिति, विशेषता, आक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्त्वों के स्पेक्ट्रमी तथा चुम्बकीय गुणधर्म, लेन्थेनाइडो का सामान्य अध्ययन, इलेक्ट्रानिक संरचना आक्सीकरण अवस्था लेन्थेनाइड के स्पेक्ट्रमी तथा चुम्बकीय गुणधर्म, लेन्थेनाइड संकुचन।
9. **समन्वय रसायन** – समन्वय यौगिकों का वर्णन का सिद्धांत, इसका इलेक्ट्रानिक निर्वचन, धातु संलग्नी बंधन को स्पष्ट करने वाला संयोजकता आबंध सिद्धांत, संकुल यौगिक में संकरण
10. **निर्जल विलायक** – विलायको का वर्गीकरण तथा विशेषताएं, द्रव अमोनिया तथा द्रव सल्फर डाइआक्साइड के विशेष संदर्भ में निर्जल विलायक का रसायन।
11. **अकार्बनिक यौगिक** –
- (1) नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं गंधक के आक्साइड, आक्सी अम्ल का विस्तृत अध्ययन (इलेक्ट्रानिक संरचना सहित) गंधक के पेरोक्सी अम्ल, क्लोरीन के आक्सी अम्ल, थायोनिक अम्ल, क्लोरीन का विलगन, अक्रियाशील गैसों के यौगिक, अन्तरता हैलोजन यौगिक तथा आभासी हैलोजन
- (2) निम्नलिखित का विरचन, गुणधर्म, उपयोग तथा संरचना डाइबोरन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजेक्सिल, ऐमीन, हाइड्रोनोइट्रेस अम्ल सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोजन पैराक्साइड।
- (3) निम्नलिखित का विरचन, गुणधर्म, उपयोग – हाइड्रोजेजोइक अम्ल, टारटारएमेटिक, माइक्रोकॉस्मिक लवण, थायोनिल क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमएलम, ब्लीचिंग पावडर, पोटेशियम फ़ैरो तथा फ़ैरी सायनाइड, क्लोरोसल्फोनिक, अम्ल सोडियम बाई स्मूथेंट, सोडियम कोबाल्टनाइट्राइट, एण्ड कार्बोरण्डम।

#### भौतिक कार्बनिक रसायन –

इलेक्ट्रानिक विस्थापन, प्रेरणिक, एलेक्ट्रोमेरिक, मैसोमेरिक तथा अति संयुग्मन प्रभाव, इलेक्ट्रोफाइल नाभिकरन्ही तथा मुक्तमूलक, अनुवाद तथा इसका कार्बनिक यौगिक के लिए अनुप्रयोग, कार्बनिक अम्लों तथा क्षारकों के वियोजन स्थिरांक पर संरचना का प्रभाव, हाइड्रोजन, आबंध तथा कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म पर उसका प्रभाव।

कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की आधुनिक धारणाएं योगशील क्रिया, प्रतिस्थापना क्रिया, विलोपन क्रिया, एवं पुनर्विन्यास क्रिया, एरोमेटिक प्रतिस्थापना की मुक्त मूलक क्रिया, विधियों में समविष्ट अभिक्रिया, बेन्जीन के मध्यवर्ती यौगिक।

#### ऐलिफैटिक रसायन विज्ञान –

निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सरल कार्बनिक यौगिकों का रसायन विज्ञान एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्किहैलाइड, अल्कोहल थाइओलस अलडाइड कीटोनेस एसिड एवं उनके डेरिवेटिव, इथर एमीन एमीनो अम्ल हाइड्राक्सी अम्ल असंतुप्त अम्ल, द्विभारकिय अम्ल।

निम्न यौगिकों के संश्लेषणात्मक उपयोग – ऐसीटोएमोटिक तथा मेलानिक एस्टर, मेलेशियन तथा लिवियम के कार्बोधात्विक यौगिक एजोनेथेन। कार्बोहाइड्रेटस वर्गीकरण संरूप सामान्य अभिक्रियाएं सरल मोनोसेकराइड के सामान्य अभिक्रियाएं ग्लूकोस फ्रक्टोज सूकोज का रसायन।

#### त्रिविम रसायन –

सममिति तथा सरल सममिति संक्रियाओं के तत्व सरल कार्बनिक अणुओं में प्रकाशकीय तथा ज्यामितीय समावयता ई. जेड. तथा आर. एस. अंकन सरल कार्बनिक अणुओं का संरूपण अकार्बनिक समन्वयी यौगिक का त्रिविम रसायन।

#### एरोमैटिक रसायन –

बेन्जीन टॉलुईन तथा उनके हाइड्राक्सी, नाइट्रो एमीनों न्यूनतम सल्फोरिक अम्ल जाइलिन बेन्जलाडिहाइड सैलिसिल ऐलडिहाइड, ऐसीटोफीनोन बेन्जोडक थलिक सैलिसिलिक सिनेमिकतथा अम्ल नाइट्रोबेन्जन का अपचयन उत्पाद डायोजोनियम लवण तथा उनका संश्लेषण में प्रयोग फेननथीन पायरीडीन तथा क्यूनोलीन नैपथलीन की संरचना संश्लेषण तथा महत्वपूर्ण अभिक्रिया एजो ट्राइफेनिल मैथेन तथा थैलीन समूहों के संबंधित रंजक रंग तथा संरचना का आधुनिक सिद्धांत निकोटिन रसायन से संबंधित सामान्य धाराएं।

आर्थिक तथा औषधीय महत्त्व के – निम्नलिखित द्रव्यों से संबंधित संकल्पना, सेलूलोस तथा स्टार्च कोलतार रसायनिक यौगिक तेल तथा चर्बी

निम्नलिखित तत्वों का रसायन तथा उनके मुख्य यौगिकों बोरात टाइटेनियम जर्मेनियम, सिलिकान, निकल प्लेटिनम क्रोमियम तथा यूरोनियम हाइड्रोजन अबन्धन की प्रारंभिक धारणा बी. एस. ई. आर. सिद्धांत तथा आयनिक ठोस पदार्थों की एकांकी युगलसंरचना का महत्त्व आयतन विश्व के संदर्भ में NaCl किरस्टल जालक के निर्माण का उर्जा विज्ञान इलेक्ट्रान बंधुता तथा जालक उर्जा बार्न हावल चक्र ध्रुवण शक्ति ध्रुवणता फाजन का नियम अम्ल क्षारक संकल्पना, लोरीक्रन्स्टेल संकल्पना लेविन संकल्पना अम्ल तथा क्षारकों के अन्य सिद्धांत कटोर तथा नर्म अम्ल क्षारक संकल्पना पी. एच. तथा उसका निर्धारण बफर विलयन तथा बफर क्रिया हैन्डरसन समीकरण।

मान्नात्मक विश्लेषण में त्रुटियों का वर्गीकरण त्रुटियों का न्यूनतमीकरण परिशुद्धता तथा यथार्थता आंकड़ों की सार्थकता सह अवक्षेपण तथा अपक्षेपण, अवक्षेपणों के लिए अनुकूलतम दशा अम्ल क्षारक अनुमापनों में सूचकों का चयन सूचकों के सिद्धांत ईडीटीए अनुमापन के नियम –

- (अ) एनेलिटिकल संख्यात्मक प्रश्न पाइरोलुसाइट आयोडीमिति, रजत सिक्के अम्ल क्षारक अनुमापन, रेडक अनुमापन से संबंधित
- (ब) एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न।

#### भू-रसायन –

- (1) दुर्लभ भूमि तत्व और संक्रमण के विशिष्ट गुण।
- (2) तत्वों के भूरसायन वर्गीकरण।
- (3) खनिजों में आयनिक प्रतिस्थापन के सिद्धांत, एकरूपता, बहुरूपता एवं छद्मरूपता।
- (4) रेडियोधर्मी आइसोटोप, स्थिर आइसोटोप: प्रकृति, बहुतायता एवं विभाजकता, U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, K-Ar के रेडियोधर्मी क्षय विधि एवं डॉटर आइसोटोप की वृद्धि।
- (5) एकल खनिज और पूर्ण चट्टान में रेडियोमेट्रिक डेटिंग।
- (6) महासागरिय तलछट का भूरसायन, महाद्विपीय तलछट की संरचना।
- (7) आर्कद्वीप का भूरसायन।
- (8) खनिज में तत्व विभाजन, चट्टानों में तत्व विभाजन।
- (9) खनिज संयोजन में तत्व विभाजन और पी-टी अनुमान में उपयोग।
- (10) प्राकृतिक जल का रसायन।
- (11) चट्टानों का क्षरण और मिट्टी का बनना।
- (12) सतही वातावरण में तत्वों की गतिशीलता।
- (13) भू-रसायन चक्र, सतही समुद्री भूजल और एयरोसोल भू-रसायन अध्ययन।
- (14) जैव भू-रसायन चक्र।
- (15) Eh-pH में खनिज स्थिरता।
- (16) सौर मण्डल और पृथ्वी में तत्वों उत्पत्ति, प्रचुरता एवं इसके घटक।

□□□

## परिशिष्ट-तीन,

## “ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
- (2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि रसीद पर Payment Staus के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
- (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।
- (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
- (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ-साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाइल व ई-मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ-साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाइल व ई-मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रुपये 6/- (सभी कर सहित) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।
- (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-

- (i) प्रत्येक ऑनलाईन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 6/- (सभी कर सहित) देय होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 6/- (सभी कर सहित) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- (iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाईन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 6/- (सभी कर सहित) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- (iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएँ। ऑनलाईन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाईन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (संक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□